

	<b>Tourism Department Govt. of Bihar</b>	
<b>अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना</b>		
<b>Tender for Properties of Bihar State Tourism Development Corporation Ltd., (BSTDCL) On "As is Where is" basis at Various Locations across Bihar.</b>		

सं० सं०-06/13/H&C/Esstt./16-17/ Part File/1101/22

दिनांक-10.06.2022

### अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, निम्नांकित परिसम्पत्तियों को अनुज्ञप्ति के आधार पर 1 (एक) वर्ष अथवा मैन्टेनेंस पॉलिसी लागू होने तक अनुज्ञप्ति के आधार पर संचालन कराना चाहती है, जिसके लिए संबंधित क्षेत्र के अनुभवी व्यक्ति/एजेंसी/फर्म/कम्पनी से Technical Bid और Financial Bid (Two-bid system) के आधार पर "जैसा है जहाँ है" (As it is where it is) निविदा आमंत्रित करती है।

क्र	सम्पत्ति का नाम	निविदा प्रपत्र की राशि (Non-refundable)	अग्रधन की राशि (Refundable)
1.	Cafeteria Chihutjor, Banka	5,000.00	20,000.00
2.	Wayside Amenities Jalebia	5,000.00	20,000.00
3.	Mini Cafeteria, Tankeshwar, Banka	5,000.00	20,000.00
4.	Wayside Amenities, Suiya, Banka	5,000.00	20,000.00
5.	Rain Shelter, Mujma, Munger	5,000.00	20,000.00
6.	Rain Shelter Suiya, Banka	5,000.00	20,000.00
7.	Rain Shelter Lulha Shivlok, Banka	5,000.00	20,000.00
8.	Rain Shelter cum Toilet Chihutjor, Banka	5,000.00	20,000.00

#### 2. निविदा डालने की संक्षिप्त प्रक्रिया :-

1	निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की तिथि	Date-16.06.2022 from 3:00 PM
2	निविदा डालने की अन्तिम तिथि एवं समय	Date-24.06.2022 up to 3:00 PM
2	तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय	Date-24.06.2022 at 4:00 PM
3	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	Date-28.06.2022 at 4:00 PM

- उक्त परिसम्पत्ति 1 (एक) वर्ष अथवा मैन्टेनेंस पॉलिसी लागू होने तक के लिए आवंटित की जायेगी।
- निर्धारित तिथि एवं समय पर होटल कौटिल्य विहार, पटना के स्वागतक कक्ष में निविदा जमा होगी, तथा उसी दिन 4:00 बजे अपराह्न निविदा निगम मुख्यालय में खोली जायेगी।
- निविदा प्रपत्र की राशि एवं अग्रधन की राशि की डी०डी० बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना के नामे भुगतये होगी। बिना निविदा प्रपत्र की राशि एवं अग्रधन की राशि के प्राप्त निविदा प्रथम दृष्टया अमान्य होगा। प्रबन्ध निदेशक को निविदा के किसी शर्त को शिथिल करने/निविदा स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है। यह निविदा सूचना एवं नियमावली निगम के वेबसाईट [www.bstdc.bihar.gov.in](http://www.bstdc.bihar.gov.in) से डाउनलोड कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी हेतु Mr. Ratnesh Kumar, Manager, Hotel & Lease on Mobile no- 8544418256 & email-contactbstdc@gmail.com. से संपर्क कर सकते हैं।

ह०/—  
सहायक निदेशक  
पर्यटन विभाग  
बिहार

## अनुज्ञप्ति के आधार पर (दुकानों के लिए) संचालन हेतु टेन्डर नियमावली

बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० के द्वारा अनुज्ञप्ति के आधार पर अधिकतम 1 (एक) वर्ष अथवा मैन्टेनेंस पॉलिसी लागू होने तक के लिए संचालन कराना चाहती है, जिस हेतु (As is where is) "जैसा है जहाँ है" के आधार पर दो लिफाफे, जिसके लिए सम्बन्धित क्षेत्र के अनुभवी व्यक्ति/एजेन्सी/फर्म/कम्पनी से Technical Bid और Financial Bid (Two-bid system) में अनुमोदित निविदा प्रपत्र में मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

**अग्रधन की राशि :** निविदाकार को अपने निविदा कागजात के साथ अग्रधन की राशि (Earnest Money) उक्त वर्णित सम्पत्ति के समक्ष दर्शाए गई राशि के अनुरूप, बैंक ड्राफ्ट, जो "बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०" के नाम से पटना में भुगतये हो, जमा करना अनिवार्य होगा। बिना अग्रधन के प्राप्त निविदा प्रथम दृष्टया अमान्य होगा। सफल निविदादाता को कार्यादेश के पूर्व लीज रेन्ट की पूरी राशि (अग्रधन के रूप में जमा राशि के समायोजनोपरान्त) एकमुस्त जमा किया जाना होगा। असफल निविदादाताओं को अग्रधन की राशि निविदा निस्पादन के उपरान्त वापस कर दी जायेगी। इच्छित सम्पत्ति हेतु अलग-अलग निविदा प्रपत्र आवेदित करना होगा।

**जमानत की राशि :-**सफल निविदादाता को 1 (एक) वर्ष अथवा मैन्टेनेंस पॉलिसी लागू होने तक के लिए की लाइसेंस फीस की पूरी राशि G.S.T. सहित लाइसेंस फीस के समतुल्य जमानत की राशि के रूप में N.S.C./F.D. बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना के नाम प्लेज्ड, स्वीकृति पत्र (L.O.A.) निर्गत की तिथि से पंद्रह दिनों के अन्दर एकमुस्त जमा करना होगा एवं राशि जमा करने के उपरांत ही आवंटन-पत्र निर्गत किया जायेगा। एक प्रपत्र में मात्र एक ही निविदा हेतु आवेदन दिया जायेगा। प्राप्त निविदा के किसी शर्त को शिथिल करने, निविदा के अंश भाग/सम्पूर्ण भाग को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक के पास सुरक्षित है।

**अनुमोदित निविदा प्रपत्र :-**यह निविदा सूचना एवं नियमावली निगम के बेवसाईट [www.bstdc.bihar.gov.in](http://www.bstdc.bihar.gov.in) से डाउनलोड कर सकते हैं। निविदा नियमावली एवं निविदा प्रपत्र का मूल्य वापस नहीं किया जायेगा।

ऑफरकर्ता आवश्यक समझें तो उक्त परिसर का निरीक्षण के पश्चात् अपना ऑफर निर्धारित तिथि के अन्दर दे सकते हैं। निविदा के सम्बन्ध में यदि किसी बिन्दु पर Clarification आवश्यक समझा जाता है, तो निगम कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। उक्त परिसम्पत्ति की साज-सज्जा (Furnishing) इत्यादि की व्यवस्था अनुज्ञप्तिधारी को स्वयं करनी होगी। पर्यटन निगम से मात्र भवन/स्थान दिया जायेगा।

## निविदा समर्पित करने की प्रक्रिया :-

### 1. क्रेडेंशियल्स :

- I. EMD एवं निविदा प्रपत्र का मूल्य।
- II. Partnership or Proprietor ship Firm/ Registered Society/ Individual / Other से सम्बन्धित कागजात
- III. Food License. Certificate की छायाप्रति (सिर्फ खाद्य पदार्थ बेचने एवं रेस्तराँ चलाने वालों के लिए)
- IV. पैन कार्ड की छायाप्रति।
- V. संबंधित पुलिस अधिक्षक (S.P.)/जिलाधिकारी (D.M) या अनुमंडल पदाधिकारी (S.D.O) से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।
- VI. आवासीय पता का प्रमाण पत्र (यथा राशन कार्ड/चुनाव आयोग का पहचान पत्र/विद्युत विपत्र/ड्राईविंग लाइसेंस/पासपोर्ट की छायाप्रति)
- VII. विगत तीन वर्षों का अद्यतन आय-कर रिटर्न जमा की छायाप्रति संलग्न करना है।

नोट :- उपरोक्त वर्णित सभी कागजात स्वअभिप्रमाणित संलग्न करना है।

2. "अर्नेस्ट मनी" की विवरणी : बैंक ड्राफ्ट नं० ..... दिनांक .....  
रकम .....

**नोट :-**उपरोक्त वर्णित सभी कागजात स्व अभिप्रमाणित संलग्न करना है, साथ ही निविदा नियमावली को छोड़ कर सिर्फ लिफाफा नं०-1 एवं II ही निविदा में डालना है। जिसका निर्देश निम्नप्रकार से है:-

निर्देश:-(जिसे निविदा प्रपत्र के एनेक्सचर-'क' (संलग्न) के अनुसार जमा किया जाना है। लिफाफे के ऊपर निविदा कार्य तथा **लिफाफा सं०-1 (तकनीकी बिड)** को लिखा जाना अनिवार्य है। अग्रधन की राशि लिफाफा नम्बर-1 में दिया जाना है।

➤ **लिफाफा सं०-II** में निविदादाताओं को दर भरा जाना है, जिसे निविदा प्रपत्र के एनेक्सर-'ख' (संलग्न) के अनुसार जमा किया जाना है। लिफाफे के ऊपर परिसम्पत्ति का नाम एवं निविदा कार्य तथा **लिफाफा सं०-II** में परिसम्पत्ति का नाम तथा **(वित्तीय बिड)** को लिखा जाना अनिवार्य है।

दोनों ही लिफाफे को एक तीसरे एवं बड़े लिफाफे में मुहरबन्द कर डाले जायेंगे। ऑफरकर्ता अपने स्वेच्छा से एक कार्य हेतु निविदा दे सकते हैं या एक से अधिक कार्यों के लिए अलग-अलग लिफाफा नं०-1 एवं लिफाफा नं०-II में भरी गई निविदाएँ दे सकते हैं।

**दोनों ही लिफाफे को एक तीसरे एवं बड़े लिफाफे में मुहरबन्द कर डाले जायेंगे।**

## निविदा की अन्य सामान्य शर्तें : -

1. वर्णित सम्पत्ति का लाइसेंस नियमानुसार व्यवसायिक आधार पर यात्रियों/पर्यटकों की सुविधा के लिए कुल 1 (एक) वर्ष अथवा मैन्टेनेंस पॉलिसी लागू होने तक के लिए आवंटित किया जायेगा। वांछित सभी राशि जमा हो जाने के पश्चात् सम्पदा का संचालन हेतु आवंटन पत्र निर्गत किया जायेगा, साथ ही **इनभेन्ट्री बना कर** नियंत्री प्रबन्धक द्वारा प्रभार दिया जायेगा, जिसे वापसी के समय इस इनभेन्ट्री से मिलान कर उसी स्थिति में लीजधारी द्वारा वापस किया जायेगा। इस इनभेन्ट्री में भवन के खिड़की दरवाजा, फर्निचर, फिक्सर विद्युत एवं जल व्यवस्था सहित परिसर का सभी विवरणी रहेगी।
2. **सफल निविदादाता को** 1 (एक) वर्ष अथवा मैन्टेनेंस पॉलिसी लागू होने तक के लिए लाइसेंस फीस की राशि स्वीकृति पत्र (L.O.A.) निर्गत की तिथि से पंद्रह दिनों के अन्दर एकमुस्त जमा करना होगा एवं राशि जमा करने के उपरांत ही आवंटन-पत्र निर्गत किया जायेगा।
3. जमानत के रूप में 1 (एक) वर्ष अथवा मैन्टेनेंस पॉलिसी लागू होने तक के लिए **अनुज्ञप्ति राशि के समतुल्य** राशि का **N.S.C./Fixed Deposit, Pledged "Bihar State Tourism Development Corporation Ltd., Patna"** के नाम में जमा करना होगा। इस पर प्रथम पक्ष द्वारा किसी प्रकार का सूद द्वितीय पक्ष को देय नहीं होगा।
4. सारी वांछित राशि प्राप्त होने पर ही उक्त सम्पत्ति का प्रभार संचालन हेतु सौंपा जायेगा।
5. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवंटन के समय बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० से एकरारनामा करना आवश्यक है एवं लाइसेंस के सम्बन्ध में एकरारनामा से संबंधित सभी प्रकार के स्टाम्प ड्यूटी का खर्च अनुज्ञप्तिधारी को स्वयं वहन करना होगा।
6. प्रति वर्ष कार्य संतुष्ट होने पर अधिकतम तीन वर्षों के लिए वर्षवार एकरारनामा को बढ़ाया जा सकता है।
7. मैन्टेनेंस पॉलिसी के उपरांत सम्पदा लौटाने पर BSTDC द्वारा गणित Quantum of शेष राशि ही लीजधारी को वापस की जायेगी एवं उस पर लीजधारी द्वारा किसी तरह का दावा मान्य नहीं होगा।
8. समय-समय पर परिसम्पत्ति को अच्छे अवस्था में रखने हेतु रंग-रोगन एवं अन्य रख रखाव इत्यादि लीजधारी के द्वारा ही करवाया जायेगा। 1 (एक) वर्ष अथवा मैन्टेनेंस पॉलिसी लागू होने के उपरांत BSTDC के द्वारा परिसम्पत्ति को वापस लेने की स्थिति में उसकी रंगाई पुताई इत्यादि पूर्व में करवाकर ही परिसम्पत्ति को वापस देना होगा अथवा जमा बैंक गारंटी/FD से राशि वसूल कर इसकी भरपाई पर्यटन निगम द्वारा किया जायेगा।
9. इस सम्पदा के संचालन के निमित्त आवश्यक फर्निचर, उपस्कर, फर्निसिंग, इत्यादि निविदादाता द्वारा किया जायेगा। आवंटन के समाप्ति के पश्चात् वैधानिक सभी राशि एवं यदि कोई बकाया राशि हो तो उसके भुगतान के पश्चात् जमानत की शेष राशि वापस कर दी जायेगी।
10. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवंटित सम्पत्ति का पूर्ण या आंशिक भाग को सबलेट नहीं किया जा सकता है।
11. प्रबन्ध निदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को लाइसेंसधारी द्वारा चलाये जा रहे सम्पदा आदि के निरीक्षण का अधिकार होगा।
12. यदि अनुज्ञप्तिधारी निर्धारित अवधि में लाइसेंस की राशि का भुगतान बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना को निर्धारित शर्तों के अनुरूप नहीं करेंगे तो वैसी स्थिति में बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, को निम्न प्रकार से कार्रवाई करने का अधिकार होगा :

क. अनुज्ञप्तिधारी का लाइसेंस बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड रद्द कर देगा।

ख. बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जमा अग्रधन की राशि को जब्त कर लेगा।

- ग. प्रथम पक्ष अर्थात् बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा द्वितीय पक्ष अर्थात् अनुज्ञप्तिधारी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा एवं प्रथम पक्ष द्वारा निकाले गये किसी निविदा में उन्हें भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।
- घ. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एकरारनामा के अनुरूप लाइसेंस फी एवं अन्य फी भुगतान नहीं करने पर इस criminal breach of trust समझा जाएगा तथा इसके लिए आवश्यक फौजदारी / दीवानी / प्रमाण पत्र मुकदमा करने का अधिकार पर्यटन निगम को होगा।

यदि निर्धारित तिथि तक लाइसेंस शुल्क जमा लीजधारी द्वारा नहीं किया जाता है तो, विलम्बित अवधि के लिए **2.5%** प्रतिमाह की दर से बिलम्ब शुल्क लगेगा।

- 13.** अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने पर अथवा अनुज्ञप्ति के रद्द होने की स्थिति में यदि अनुज्ञप्तिधारी के पास कोई बकाया नहीं रहता है तो वैसी परिस्थिति में वे अपने खर्च से किये गये सामाग्रियों को वापस ले जा सकेंगे। बकाये की स्थिति में सामग्रियों को जब्त कर लिया जायेगा।
- 14.** अनुज्ञप्तिधारी आवंटित स्थल में किसी प्रकार के गैर कानूनी / प्रतिबंधित व्यवसाय नहीं करेंगे एवं परिसर का उपयोग सिर्फ पर्यटन व्यवसाय हेतु करेंगे जिसके लिये उन्हें आवंटित किया गया है। आवंटन प्राप्त करने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी इसे संचालन की स्थिति में रखेंगे, इसे बन्द कर नहीं रखेंगे।
- 15.** निगम द्वारा निर्धारित जगह को छोड़कर अन्य किसी भी जगह में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा साईनबोर्ड अथवा किसी प्रकार का प्रचार-पटल नहीं रखा जायेगा और न ही आवंटित क्षेत्र के अतिरिक्त किसी जगह पर कब्जा किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लाइसेंस अवधि में सभी प्रकार के सौन्दर्यीकरण एवं सामान्य रख-रखाव का कार्य अपने खर्च पर किया जायेगा।
- 16.** अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवंटित सम्पत्ति आदि को सफाई-स्वच्छता आदि का ध्यान रखा जायेगा एवं अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पर्यटकों की भावना के अनुरूप उच्च एवं उचित स्तर पर सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी एवं पर्यटकों से नम्रतापूर्वक व्यवहार किया जायेगा। उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्विस की गुणवत्ता के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर यथोचित कार्रवाई यथा लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।
- 17.** अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लाइसेंस अवधि में किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदा एवं असावधानी के कारण हुये क्षति की भरपाई एक सामान्य समय सीमा के अन्दर अपने खर्च पर किया जायेगा अन्यथा इस कार्य को निगम द्वारा किया जायेगा एवं किये गये खर्च की प्रतिपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी से **10%** प्रतिशत सूद के साथ की जायेगी। इस प्राकृतिक आपदा से बचाव हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बीमा कराया जा सकता है, जिसके प्रीमियम की राशि उन्हें स्वयं वहन करनी होगी।
- 18.** अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवंटन के एक माह के भीतर अपने खर्च पर स्वतंत्र रूप से अपने नाम विद्युत मीटर की व्यवस्था कर ली जायेगी एवं विपत्रों के भुगतान करने के पश्चात् लाइसेंसकर्ता को उसकी सूचना देंगे। साथ ही जलापूर्ति की भी व्यवस्था अपने खर्च पर करेंगे।
- 19.** विद्युत हेतु स्टैंडवाई व्यवस्था, साइलेन्ट जेनरेटर आदि की व्यवस्था लाइसेंसधारी के द्वारा स्वयं अपने खर्च पर की जायेगी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे पर्यावरण को क्षति पहुँचती हो। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जल स्रोतों को प्रदूषित नहीं किया जायेगा एवं जलस्रोतों का उपयोग उतना ही किया जायेगा जितनी की आवश्यकता हो।
- 20.** अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा किसी प्रकार का संवैधानिक भुगतान नहीं करने के कारण डिफॉल्टर होने पर अनुज्ञप्तिकर्ता द्वारा उक्त राशि का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये गये Security Money में से कर दिया जायेगा। अन्यथा अनुज्ञप्तिकर्ता लाइसेंस रद्द कर देगा।
- 21.** लाइसेंस अवधि की समाप्ति के उपरान्त आवंटित सम्पत्ति आदि को उसी अवस्था में सुर्पुद करेंगे, जिस अवस्था में दिया गया था। किसी प्रकार का एडिशन एवं अल्ट्रेडिशन आदि अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक / प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जाना है।

22. अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा लाइसेंस अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी भी अवस्था में आवंटित सम्पत्ति आदि का संचालन नहीं किया जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् खाली किये जाने वाले अवधि तक पेनाल्टी के रूप में लाइसेंस फीस के समतुल्य राशि अनुज्ञप्तिकर्ता को जमा कराना होगा।
23. अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा एकरारनामा के शर्तों के उल्लंघन के अवस्था में अथवा उनके द्वारा किसी प्रकार की जालसाजी एवं गलत सूचना के आधार पर प्राप्त किया गया, आदि का संचालन हेतु लाइसेंस अथवा पूर्व में किसी प्रकार के फौजदारी मुकदमें में सजायापता होने की जानकारी मिलने पर, लाइसेंसकर्ता के द्वारा उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा एवं जमा सारी राशि जब्त कर ली जायेगी और उन्हें Debar कर दिया जाएगा तथा भविष्य में BSTDC के किसी Tender में भाग लेने योग्य नहीं होंगे।
24. प्रतिबंधित मद्यपान आदि को बेचते पाये जाने पर अथवा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत पाये जाने पर बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० द्वारा आवंटन रद्द करने की कारवाई के साथ-साथ विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।
25. Covid-19/ महामारी के संदर्भ में समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत गाईडलाइन के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
26. आवंटन पत्र निर्गत होने अथवा आवेदन पत्र स्वीकृत होने के पश्चात् यदि आवेदक **Refuse** करते हैं या कोई शर्त रखते हैं तो वह मान्य नहीं होगा और उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा एवं अर्नेस्ट मनी की राशि एवं अन्य जमा सारी राशि स्वतः जब्त समझी जायेगी।
27. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संबंधित सम्पदा के संचालन के निमित्त रखे गये कार्मिक निगम के कार्मिक नहीं कहलायेंगे, आवेदक की यह जिम्मेवारी होगी कि अपने अधीनस्थ रखे गये कर्मचारियों को श्रम कानून के अन्तर्गत निर्धारित अहर्तायें (E.P.F./E.S.I. एवं अन्य) पूरा करेंगे एवं इसकी पूरी जबाबदेही आवेदक की ही होगी।  
श्रम कानून से संबंधित सभी नियमों एवं प्रावधानों का कठोरता से पालन अनुज्ञप्तिधारी करेंगे। श्रम कानून से उठने वाले सभी प्रकार की जबाबदेही अनुज्ञप्तिधारी की होगी।
28. आवंटित परिसर में किसी प्रकार के दुर्घटनाओं की जिम्मेवारी, अनुज्ञप्तिधारी की होगी तथा इससे सम्बन्धित किसी भी प्रकार की वैधानिक जबाबदेही लाइसेंसधारी का होगा।
29. अनुज्ञप्तिधारी को वन एवं पर्यावरण, ध्वनि प्रदूषण एवं उत्पाद कानून से सम्बन्धित सभी नियमों का अनुपालन करना होगा।
30. Municipal Tax एवं भारत सरकार/राज्य सरकार/नगर पंचायत द्वारा लगया होल्लिंग टैक्स या किसी भी अन्य प्रकार का कर का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जायेगा। डिफाल्ट की स्थिति में जमानत की राशि जब्त करते हुये लाइसेंस रद्द कर प्रभार प्राप्त कर लिया जायेगा। साथ ही सम्बन्धित बकाया राशि वसुली की कारवाई की जायेगी।
31. अनुज्ञप्ति की अवधि में उपर्युक्त परिसम्पत्ति को निगम हित में या राज्य सरकार हित में दो माह की नोटिस दे कर कार्यभार ग्रहण करने का अधिकार निगम को होगा और ऐसी स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा की गई राशि का समानुपातिक भाग अनुज्ञप्तिधारी को लौटा दिया जाएगा। किसी प्रकार का Damage Claim मान्य नहीं होगा।
32. अनुज्ञप्तिधारी से किसी प्रकार का बकाया "बिहार एवं उड़ीसा" पब्लिक डिमाण्ड रिक्वैरी एक्ट के प्रावधानों के तहत सर्टिफिकेट केस के माध्यम से वसूल करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
33. उभयपक्षों में किसी प्रकार के विवाद एवं मतभेद की अवस्था में सरकार के सचिव/प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार आरविट्रेटर होंगे। इस आरविट्रेशन की प्रक्रिया पटना में ही संपन्न की जाएगी।

34. उपरोक्त के अलावा निगम या प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देश दिया जा सकता है, जो द्वितीय पक्ष को पालन करना होगा।

35. Detail of Properties.: -

क्र	सम्पत्ति का नाम	Remarks
1	Cafeteria Chihutjor, Banka	Hall-1, Shop-4, Dormitory-4, Toilet
2	Wayside Amenities Jalebia	Hall-1, Shop-9, Dormitory-1, Kitchen-1, ATM Counter-1, Manager Room-1, Hall-2, 200 KVA Genset- 1
3	Mini Cafeteria, Tankeshwar, Banka	Hall-1, Kitchen, Toilet
4	Wayside Amenities, Suiya, Banka	Rooms, Toilet Block, Shops etc
5	Rain Shelter, Mujma, Munger	Rain Shelter
6	Rain Shelter Suiya, Banka	Rain Shelter
7	Rain Shelter Lulha Shivlok, Banka	Rain Shelter
8	Rain Shelter cum Toilet Chihutjor, Banka	Rain shelter , Toilet

बिहार स्टेट टूरिज्म डेवपलमेंट कॉरपोरेशन लि० की परिसम्पत्ति का अनुज्ञप्ति के आधार पर  
संचालन हेतु निविदा  
लिफाफा नं०- I प्रपत्र 'क' (अनुभव)  
सम्पत्ति के आवंटन के लिये लाइसेंस हेतु  
आवेदन पत्र का प्रपत्र:

1. इकाई का नाम :  
(जिसके लिये आवेदन दिया जा रहा है)
2. आवेदक का नाम :  
(अनुभवी व्यक्ति/एजेंसी/फर्म इंडिभिजुअल:  
संबंधित कागजात की प्रतिलिपि संलग्न करें)
3. पिता का नाम :
4. वर्तमान एवं स्थाई पता :  
(दूरभाष सहित)



(कृपया आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करें)

5. क्रेडेंशियल्स :

- I. EMD एवं निविदा प्रपत्र का मूल्य (अगर Download Form है)
- II. Partnership or Proprietor ship Firm/ Registered Society/ Individual / Other से सम्बन्धित कागजात
- III. Food License. Certificate की छायाप्रति (सिर्फ खाद्य पदार्थ बेचने वालों के लिए)
- IV. पैन कार्ड की छायाप्रति।
- V. संबंधित पुलिस अधीक्षक (S.P.)/जिलाधिकारी (D.M) या अनुमंडल पदाधिकारी (S.D.O) से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति;
- VI. आवासीय पता का प्रमाण पत्र (यथा राशन कार्ड/चुनाव आयोग का पहचान पत्र/विद्युत विपत्र/ड्राईविंग लाइसेंस/पासपोर्ट की छायाप्रति)
- VII. विगत तीन वर्षों का अद्यतन आय-कर रिटर्न जमा की छायाप्रति संलग्न करना है।

नोट :- उपरोक्त वर्णित सभी कागजात स्वअभिप्रमाणित संलग्न करना है।

6. "अर्नेस्ट मनी" की विवरणी : बैंक ड्राफ्ट नं० ..... दिनांक .....  
रकम .....
7. आवेदक की अन्डरटैकिंग :

- मेरे द्वारा टेण्डर नियमावली एवं अन्य नियम एवं शर्तें अच्छी तरह पढ़ने/समझने के उपरान्त यह आवेदन दिया जा रहा है। निगम द्वारा निर्धारित सभी नियमों/शर्तों के अनुसार आवंटित इकाई की संचालन व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन देता हूँ।
- मेरे द्वारा इस आवेदन में भरे गये सभी तथ्य/संलग्न अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। निविदा में किसी भी स्तर पर इन्हें गलत पाये जाने पर निगम यथोचित आवश्यक कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र होगी।

आवेदक का हस्ताक्षर



बिहार स्टेट टूरिज्म डेवपलमेंट कॉरपोरेशन लि० की परिसम्पत्ति का अनुज्ञप्ति के आधार पर  
संचालन हेतु निविदा  
लिफाफा नं०- ॥ प्रपत्र 'ख' (दर)

1. ईकाई का नाम (जिसके लिए आवेदन दे रहे हैं) :-
2. आवेदक का नाम :-
3. पिता का नाम :-
4. वर्तमान पता :-
5. स्थाई पता :-  
(दूरभाष संख्या सहित)
6. आवेदक द्वारा ऑफर की गई 2 (दो) माह तक के लिए लाइसेंस राशि+G.S.T. राशि:-  
अंकों में (₹ \_\_\_\_\_) एवं  
शब्दों में (₹ \_\_\_\_\_)

---

नोट :- 1. लाइसेंसीधारी लीज की राशि का उल्लेख अंक और शब्दों में हाथ से न लिखकर, टाईप कराकर दें। जिसमें किसी भी प्रकार का कटिंग या ओभर राईटिंग न हो। कटिंग एवं ओभर राईटिंग होने पर उसे अमान्य कर दिया जायेगा।  
2. लाइसेंसीधारी द्वारा लाइसेंस फीस के समतुल्य राशि जमानत के रूप में N.S.C./ Fixed Deposit प्लेज्ड "बिहार स्टेट टूरिज्म डेवपलमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना" के नाम जमा करना होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर